

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर
क्रमांक:-एफ8(20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/ जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स)एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा खरीफ फसल सम्बत 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टरों द्वारा करवाई गई नियमित गिरदावरी की राज्य के जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित जिलों के आगे लिखेनुसार **3777 गांवों** में कृषकों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत व अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है, एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के जारी होने से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे, तथा उक्त जिलों में 33 प्रतिशत व अधिक फसल खराबा वाले व्यक्तिगत कृषकों को भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी जाती है:-

क्र.सं.	जिलो के नाम	तहसीलों के नाम	अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या
1	झालावाड़	झालरापाटन, असनावर, पिडावा, पचपहाड, गगंधार, अकलेरा, मनोहरथाना, खानपुर, सुनेल, बकानी, रायपुर, डग	1597
2	धौलपुर	धौलपुर, राजाखेडा, बाडी	42
3	बूंदी	बूंदी, तालेडा, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ, नैनवां, हिण्डौली, रायथल	534
4	भरतपुर	भरतपुर, नदबई, बयाना, बैर, भुसावर, रुपवास, रुदावल, उच्चैन	349
5	डीग	डीग, कामां, जुरहरा	58
6	टोंक	टोंक, देवली, दूनी, उनियारा, निवाई, पीपलू, अलीगढ, मालपुरा, टोडारायसिंह, नगरफोर्ट	1197
कुल योग:-			3777

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैफाली कुशवाहा)
Signature valid

Digitally signed by Shafali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.11.02 14:41:57 IST
Reason: Approved



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता राज्य, राजस्थान सरकार।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
13. निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम.डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम.डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
16. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
17. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
18. सम्भागीय आयुक्त, कोटा, भरतपुर एवं अजमेर।
19. जिला कलक्टर, झालावाड़, धौलपुर बूंदी, भरतपुर, डीग एवं टोंक।
20. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
21. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
22. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
23. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
24. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु।
25. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर को गजट नोटिफिकेशन में ऑन लाईन/ई-फाईल से प्रकाशित करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार डीएमआईएस पोर्टल खोलने हेतु।
26. सामान्य शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।


शासन उप सचिव